

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./ 153 /2024 दिनांक : 11.07.2024

श्रीमती यारिम्न खान (RJ01089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर) को दिनांक 15.07.2024 से 26.07.2024 तक 12 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.07.2024 से 14.07.2024 एवं 27.07.2024 से 28.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती खान की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/77/2016/ 5695

दिनांक : 11.07.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 3846 दिनांक 13.06.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती यारिम्न खान (RJ01089), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (सीकर)।


11/7/2024
सहायक रजिस्ट्रार